न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 169 / 2017

दर्ज दिनांक : 18 / 12 / 2017

निर्णय दिनांक : 20 / 03 / 2018

झूंथाराम पुत्र स्व. श्रवण जाति माली, निवासीः डाबिच मालीयान, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

1. जमना देवी पत्नि स्व. श्रवण
2. रूकमणी पुत्री स्व. श्रवण
3. लाली देवी पुत्री स्व. श्रवण
4. गडूली देवी पुत्री स्व. श्रवण
5. गौरा देवी पुत्री स्व. श्रवण
6. विमला देवी पुत्री स्व. श्रवण

   समस्त जातियानः माली, निवासीयानः डाबिच मालीयान, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री पप्पूलाल सैनी एडवोकेट
श्री रामस्वरूप चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 6
प्रतिवादी सं. 7 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांकः 20 / 03 / 2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 59 के आराजी खसरा नंबर 170, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 196, 198, 202, 205, 209, 209/1671, 214, 284, 285 कुल किता 19 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 185 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 235/1687, 235/1688, 242/1693, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1686, 483/271, 484/271, 485/271, 486/271 कुल किता 16 कुल रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 472/177 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 470/177 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 469/177 रकबा 6 बीघा भूमि वाके ग्राम डाबिच मालीयान एवं खसरा नंबर 929, 931, 938 कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 928 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम डाबिच, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी श्रवण पुत्र श्रीकिशन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। श्रवण पुत्र श्री किशन का देहांत दिनांक 22.12.2015 को हो गया। उक्त आराजीयात श्रवण पुत्र स्व. श्री किशन की खातेदारी भूमि रही है इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का कानूनन हक व हिस्सा बनता है इसलिये उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में खोला जाना न्यायोचित है। शंकर पुत्र श्रवण भी दिनांक 02.06.2008 को देहांत हो चुका है जिसके कोई विधिक वारिसान नहीं है इसलिये उक्त वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोला जाना न्यायोचित है। सिजरा खानदान अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का उक्त आराजी में हक व हिस्सा बनता है वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने विधिवत अपने हक का हकत्याग दिनांक 16.02.2016 सब रजिस्ट्रार माधोराजपुरा में कर दिया है इसलिये वादी उक्त आराजी की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त आराजीयात श्रवण पुत्र स्व. श्री किशन की खातेदारी भूमि रहीं है

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का कानूनन हक व हिस्सा बनता है। मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण के कोई जायन्दा वारिस नहीं है उक्त आराजीयात से अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण की हिस्से की आराजीयात पर कोई वाद–विवाद विचाराधीन नहीं है, शंकर पुत्र स्व. श्रवण के हिस्से पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं है इसलिये मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में खोला जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग कर सके एवं राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सके। उक्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने–अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त आराजी बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हकत्याग अनुसार वादी काबिज काश्त है इसलिये उक्त आराजीयात की खातेदारी अधिकार पाने का वादी अधिकारी है। उक्त आराजीयात वर्तमान में श्रवण पुत्र श्रीकिशन के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजी का प्रतिवादीगण अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर रहन बेचान करने पर आमादा है अगर प्रतिवादीगण उक्त भूम को अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन बेचान कर दिया तो वादी को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पडेगा इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से करीबन काफी वर्षो से शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है इसलिए कानूनन वादी उक्त आराजी की खातेदारी अधिकारों की राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने का अधिकारी है। वादी ने किसान कार्ड बनवाने के लिये अभी हाल में ही नकले ली तो उक्त आराजी में श्रवण पुत्र श्रीकिशन के नाम होने की राजस्व अभिलेखों में जानकारी हुई एवं वादी ने प्रतिवादीगण को अपने नाम हकत्याग के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि आपका उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है हम अपने पक्ष में दर्ज रिकॉर्ड नाम को हटवाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाकर आपके नाम लगवा देगे लेकिन प्रतिवादीगण की नियत में जमीनों के भाव बढ जाने से फितूर उत्पन्न हो

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गया एवं नामान्तकरण खुलवाकर नाम लगवाने से आनाकानी करने लग गये इसलिए वादी को उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक है। दिनांक 02.12.2017 को उक्त आराजीयात पर वादी अपनी खातेदारी भूमि को संभालने गये तो मौके पर प्रतिवादीगण दो तीन अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आये एवं इशारा करके कहने लगे कि हमने उक्त जमीन का सौदा कर लिया है एवं उक्त जमीन हमारे नाम लगवायेगे इसलिए उक्त आराजी को बेचान रहन करके तुम्हे कब्जे काश्त से बेदखल करके ही दम लेगे हमने उक्त आराजी का एक महीने पहले ही इकरारनामा करवा दिया है अब एक दो दिन में विक्रय पत्र तस्दीक करवायेगे अगर प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो वादी असहनीय हानि होगी व्यर्थ मुकदमेंबाजी होगी इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के श्रवण पुत्र श्रीकिशन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है, इस बाबत पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी को भिजवायी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त उपयोग/उपभोग में मजाहमत न करे, न आराजी के हिस्से व कब्जे काश्त से बेदखल करे, न आराजी को रहन, बेय, मुन्तकिल करे, उपरोक्त कृत्य न स्वयं करे, न अन्य से करावे, वादी को शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहने दे। वादी को खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री रामस्वरूप चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

किया। प्रतिवादी संख्या 7 का जवाब बंद किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में झूथा पुत्र श्रवण एवं जमुना पत्नि श्रवण के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि आराजी खतौनी संख्या 59 के आराजी खसरा नंबर 170, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 196, 198, 202, 205, 209, 209/1671, 214, 284, 285 कुल किता 19 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 185 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 235/1687, 235/1688, 242/1693, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1686, 483/271, 484/271, 485/271, 486/271 कुल किता 16 कुल रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 472/177 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 470/177 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 469/177 रकबा 6 बीघा भूमि वाके ग्राम डाबिच मालीयान एवं खसरा नंबर 929, 931, 938 कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 928 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम डाबिच, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी श्रवण पुत्र श्रीकिशन के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से का खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। श्रवण पुत्र श्री किशन का देहांत दिनांक 22.12.2015 को हो गया। उक्त आराजीयात श्रवण पुत्र स्व. श्री किशन की खातेदारी भूमि रही है इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का कानूनन हक व हिस्सा बनता है इसलिये उक्त आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पक्ष में खोला जाना न्यायोचित है। शंकर पुत्र श्रवण भी दिनांक 02.06.2008 को देहांत हो चुका है जिसके कोई विधिक वारिसान नहीं है इसलिये उक्त वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोला जाना न्यायोचित है। सिजरा खानदान अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का उक्त आराजी में हक व हिस्सा बनता है वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने विधिवत अपने हक का हकत्याग दिनांक 16.02.2016 सब रजिस्ट्रार माधोराजपुरा में कर दिया है इसलिये वादी उक्त आराजी की घोषणा करवाने का कानूनन

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अधिकारी है। वादी के पक्ष में सम्पूर्ण आराजी नाम लगा दी जावें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आराजीयात श्रवण पुत्र स्व. श्री किशन की खातेदारी भूमि रहीं है इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का कानूनन हक व हिस्सा बनता है। मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण के कोई जायन्दा वारिस नहीं है उक्त आराजीयात से अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण की हिस्से की आराजीयात पर कोई वाद–विवाद विचाराधीन नहीं है, शंकर पुत्र स्व. श्रवण के हिस्से पर किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं है इसलिये मृतक शंकर पुत्र स्व. श्रवण की खातेदारी भूमि का विरासत का नामान्तकरण वादी के पक्ष में खोल दिया जावे हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को कोई आपत्ति नहीं है। हम सभी पक्षकारान मुताबिक राजीनामें के सहमत हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने में हम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, ग्राम पंचायत डाबिच द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 20.02.2016, राजीनामा, शपथ पत्र झूथा पुत्र श्रवण एवं जमुना पत्नि श्रवण इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता श्रवण सहखातेदार काश्तकार है। श्रवण की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत डाबिच द्वारा जारी सिजरा प्रमाण पत्र अनुसार श्रवण के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 वारिसान होना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

चूंकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 170, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 196, 198, 202, 205, 209, 209/1671, 214, 284, 285 कुल किता 19 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 185 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 235/1687, 235/1688, 242/1693, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1686, 483/271, 484/271, 485/271, 486/271 कुल किता 16 कुल रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 472/177 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 470/177 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 469/177 रकबा 6 बीघा ग्राम डाबिच मालीयान एवं खसरा नंबर 929, 931, 938 कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 928 रकबा 3 बिस्वा ग्राम डाबिच, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में श्रवण पुत्र श्रीकिशन के दर्ज हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जयपुर (मुद्रा)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
झूंथाराम
बनाम
जमना देवी व अन्य

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 –169/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 170, 173, 178, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 196, 198, 202, 205, 209, 209/1671, 214, 284, 285 कुल किता 19 कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 185 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 235/1687, 235/1688, 242/1693, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/1686, 483/271, 484/271, 485/271, 486/271 कुल किता 16 कुल रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 472/177 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 470/177 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 469/177 रकबा 6 बीघा ग्राम डाबिच मालीयान एवं खसरा नंबर 929, 931, 938 कुल किता 3 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 928 रकबा 3 बिस्वा ग्राम डाबिच, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में श्रवण पुत्र श्रीकिशन के दर्ज हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें।

निज.......–.......मुबलिग.................–.................बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...............–...............फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/03/2018 को जारी की गई।

दस्तखत............ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा..... फागी (जयपुर)

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–nil–		फीस कमीश्नर	–nil–	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)